

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा

क्रमांक प. 25(6)आयु./2000 पार्ट

दिनांक

05 Aug 2019

कुलसचिव
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय,
जोधपुर

विषय :- राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध मण्डल तथा चयन समिति में सदस्यों का मनोनयन बाबत।
संदर्भ :- आपका पत्रांक 317 दिनांक 05.02.2019।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में निम्नानुसार मनोनयन किये जाते हैं-

1. प्रबन्ध मण्डल

क. स.	श्रेणी	प्रावधान	अवधि	सदस्यों की संख्या	मनोनीत सदस्य का नाम
1	शिक्षाविद्	12(2)(ज) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित चिकित्सा की भारतीय पद्धति के दो शिक्षाविद्	3 वर्ष	2	(1) डॉ. अशोक शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल (9829055948) (2) प्रो. महेन्द्र भीणा, पूर्व निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर (9414251904)

2. चयन समिति

क. स.	श्रेणी	प्रावधान	अवधि	सदस्यों की संख्या	मनोनीत सदस्य का नाम
1	शिक्षाविद्	5(1)(iv) (an eminent educationist to be nominated by the State Government for a period of one year)	1 वर्ष	1	प्रो. महेश चन्द शर्मा, सभापति इंडियन मेडिसिन बोर्ड जयपुर
2	सदस्य (प्रबन्ध मण्डल में से कोई एक सदस्य)	5(1)(v) (One member of the Syndicate (Board of Management) to be nominated by the State Government for a period of one year)	1 वर्ष	1	डॉ. अशोक शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल (9829055948)

मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर से मनोनयन की सूचना दिये जान का श्रम करावें।

भवदीय

(एच.एम. ढाका) 5/8

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजभवन जयपुर।
2. प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय आयुर्वेद विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
5. मनोनीत सदस्य- मार्फत कुलसचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।

(बाबू लाल गीना)

सहायक शासन सचिव

Acc
2-
6/8/19

156

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

157

क्रमांक प. 25(6)आयु./2000 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 09 AUG 2019

कुलसचिव
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय,
जोधपुर

विषय :- राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध मण्डल तथा चयन समिति में सदस्यों का मनोनयन आदेशों में संशोधन बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्रांक 3770 दिनांक 07.08.2019।


.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध मण्डल एवं चयन समिति में विभागाध्यक्ष समसंख्यक पत्र क्रमांक प. 25(6)आयु./2000 पार्ट दिनांक 05.08.2019 द्वारा विभिन्न सदस्यों के मनोनयन किये गये हैं।

निर्देशानुसार, उक्त आदेशों में अंकित चयन समिति में शिक्षकों एवं अधिकारियों (नियुक्ति हेतु चयन) अधिनियम संख्या 1974 (18) की धारा 5(1)(iv) के स्थान पर धारा 5(1)(iii) तथा धारा 5(1)(v) के स्थान पर धारा 5(1)(iv) का आंशिक संशोधन प्रदा जावे। शेष बिन्दु/विवरण यथावत रहेंगे।

भवदीय


(एच.एम. ढाका)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजभवन जयपुर।
2. प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय आयुर्वेद विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।

नाबू लाल मीना)
सहायक शासन सचिव